

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

(156)

क्रमांक प. 6(2)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 17 AUG 2019

—: आदेश :-

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 78/2019 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का नामकरण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर" किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— 54 —
(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, समस्त केबिनेट/राज्यमंत्री, राजस्थान।
6. निजीसचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्री परिषद की उपरोक्त आज्ञा के सन्दर्भ में।
8. निजी सचिव/निजी सहायक, समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर/जिला अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली संख्या एफ. 12(95)आयो/निकाशि/2011 नोटशीट सहित प्रेषित कर लेख है कि कृपया सभी संबंधितों को अपने स्तर से इस आदेश की प्रति भिजवाने का श्रम करावें।
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया उपरोक्त आदेश का आगामी आसाधारण गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन करवाकर प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन की दो प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
14. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर/जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर/महाराजा गजसिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/एम.एल.सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. प्राचार्य, समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक/विधि महाविद्यालय, राजस्थान।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 12 (95)/आयो/आकाशि/2011/ 1972-80 दिनांक: 09 अगस्त 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 2-वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 3-सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002
- 4-निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) पो.बॉक्स नं.1075, नागरभावी, बैंगलौर -560072
- 5-कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- 6-जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
- 7-समस्त संयुक्त निदेशक,/सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 8-प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़, जिला-श्रीगंगानगर।
- 10-वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव
(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर